रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 1981/माघ 1, 1902
No. 24] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 1981/MAGHA 1, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1981

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 30(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 201/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 4 जून 1979 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट में,—

(क) पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"2 क. कलक्टर, कारणों को लेखबद्ध करके, और ऐसे निबन्धनों, शर्तों और परिसीमाओं के, जो इस निमित्त अधिरोपित की जाएं, अधीन रहते हुए, पैरा 1 के अधीन आगत पर पहले ही संदत्त शुल्क के मुजरा का दावा करने के लिए घोषणा देने की बाबत उपबन्धों को शिथिल कर सकता है।";

(ख) पैरा 11 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"12. किसी भी 'आगत" की बाबत अधिसूचना सं० 178/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 के निबन्धनों के अनुसार अनुज्ञात और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के परिशिष्ट 1 के प्ररूप द छ 23 या विनिर्माता के मुजरा रजिस्टर के खाते में 21 जनवरी, 1981 को या उसके पश्चात् अनुपयुक्त पड़ी हुई उत्पाद-शुल्क की जमा रकम, इस अधिसूचना के निबन्धनों के अनुसार शुल्क का संदाय करने के लिए अन्तरित की और उपयोग में लाई जा सकती है।"

[अधिसूचना सं० 5/81/के० उ० शु० फा० सं० 211/33/79-सी एक्स04]
डी० मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 1981

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 30(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 201/79-Central Excises, dated the 4th June, 1979, namely :—

In the Appendix to the said notification,—

(a) after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"2A. The Collector may, for reasons to be recorded in writing and subject to such terms, conditions and limitations as may be imposed in this regard, relax the provisions regarding giving of declaration under paragraph 1 for claiming credit of duty already paid on inputs.";

(b) after paragraph 11, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"12. Credit of duty of excise allowed in respect of any 'inputs' in terms of notification No. 178/77-Central Excises, dated the 18th June 1977 and lying unutilised on or after the 21st January, 1981 in the account maintained in the register of set off or Form RG. 23 in Appendix I to the Central Excise Rules, 1944, of the manufacturer, may be transferred and utilised towards payment of duty in terms of this notification."

[Notification No. 5/81-CE/B. No. 211/33/79-CX. 6]
D. MEHTA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981